फाइल नं0-71-3002(003)/1/2022

1/2023/I/256997/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 04 जनवरी, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/582, दिनांक 19.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में निम्न विवरणानुसार अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 7310.75 लाख (रू0 तिहत्तर करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संबंधित प्रधानाचार्य के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संबंधित प्रधानाचार्यो द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशाजायेगा। निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया-

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(3) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(5) धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय-

लेखाशीर्ष: 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
	कुल			**9,00,00,000** **(रुपये नौ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,27,00,000 (रुपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कुल			**8,27,00,000** **(रुपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**7,50,00,000** **(रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
	कुल			**7,00,00,000** **(रुपये सात करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,71,00,000 (रुपये चार करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**4,71,00,000** **(रुपये चार करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050353 मेडिकल कालेज, देवरिया	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,68,75,000 (रुपये आठ करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**8,68,75,000** **(रुपये आठ करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000** **(रुपये आठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	14,44,00,000 (रुपये चौदह करोड़ चवालीस लाख मात्र)
	कुल			**14,44,00,000** **(रुपये चौदह करोड़ चवालीस लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 2210051050381 (मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050381 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,50,00,000** **(रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050383 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050383 मेडिकल कालेज, अयोध्या	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**

महायोग	73,10,75,000 (रुपये तिहत्तर करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, फिरोजाबाद तथा अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, फिरोजाबाद तथा अयोध्या।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, फिरोजाबाद तथा अयोध्या।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in